

विचार बिन्दु

अभिलाषा सब दुःखों का मूल है। –बुद्ध

भरी अदालत में भारत के मुख्य न्यायाधीश पर धर्म का हवाला देकर जूता फेंकना, लाइलाज नफरती बीमारी का चरम प्रदर्शन है।

एक सिरफिरे वकील ने सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर खुली अदालत में, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेक कर अपनी घृणा आधारित निकृष्ट सोच का भौंडा प्रदर्शन किया। सही सोच रखने वाले सभी भारतीयों ने इसकी व्यापक रूप से भर्त्सना की है। कुछ लोगों में सीजेआई द्वारा विष्णु की खंडित मूर्ति वाली याचिका में की गई मौखिक टिप्पणी से असहमति व्यक्त की है किंतु उन्होंने भी व बहुत से गणमान्य लोगों में इस घटना की तत्काल या कुछ देर से भर्त्सना जरूर की है। हां, कुछ उल्लु–जुल्लु बोलने वाले बड़बोले नेताओं व स्वघोषित धर्माधीशों की जवान पर जरूर ताला लगा रहा।

इस प्रकार की नफरती बीमारी तो इस घटना के काफी पहले शुरू हो गई थी। इसके शुरुआती लक्षणों के रूप में, लोगों के समूहों द्वारा धार्मिक आधारों पर, छोटी–मोटी बातों पर आस्था पर चोट के बहानों, महज शक के आधार पर कमजोर वर्गों के लोगों को किसी अपराध का संदिग्ध मानकर उनको पकड़ना, पीटना, मारना शुरू किया हुआ था। यह संकेत थे कि देश में एक गटर विचारधारा सीवर लाइन में बह रही है। कुछ गुंडा टाड़र लोगों द्वारा, अनेक नामों वाले समूह बनाकर, समय–समय पर, मनमंजी से या आकाओं का आदेश मिलने पर सीवर का ढक्कन तोड़ कर बदबू लगातार, समाज में फैलाई जा रही थी।

लेकिन बड़ा प्रश्न तो यह है कि आखिर इस प्रकार की नफरती सोच, बिना डर–भय के गांव–मोहल्लों से बाहर निकल सुप्रीम कोर्ट की खुली अदालत तक कैसे पहुंची?

क्या समाज इस भयंकर बीमारी से व्यापक स्तर पर प्रसित हो चुका है? क्या इसका इलाज संभव नहीं रहा या शासन कमजोर है या जानबूझ कर शासक वर्ग शत्रुमुर्ग बने बैठा है? क्या सरकार से भिन्न कोई शक्ति इस प्रकार की घटनाओं पर त्वरित सख्तों से कार्यवाही करने वाले हाथों को पीछे खींचती है? क्या शासक वर्गों को ऐसी घटनाओं की पुनरावृति होते रहने में अपना हित लगाने लग जाता है?

पीछे द्वारा कानून हाथ में लेकर, महज संदेह के आधार पर, संदिग्ध अपराधियों, गौ तस्करी में लगे लोगों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर, कमजोर समुदायों के लोगों को अत्यंत खरनाक ढंग से पीटा जाता है जिसमें जान जाने की पूर्ण संभावना होती है। ऐसे हमले सामूहिक रूप से मांब लीचिंग की श्रेणी में रखे जाते है। कुछ ऐसे भी मामले सामने आए है जिनमें पुलिस पीडितों पर ही केस दर्ज कर देती है। कई बार इस प्रकार की घटनाओं के होने में और इनकी तफसील में सांप्रदायिक भेदभाव दिखलाई देने लगता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (मुस्लिम, दलित, आदिवासी) इन घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित है।

कुछ सामान्य अपराहों जिनमें इन प्रकार की घटनाएं होती है या जानबूझ कर की जाती है, वे हैं:– यथा अमुक व्यक्ति ने गौमांस खाया, अमुक–अमुक लोगों में गाय को मारकर उसकी हड्डियां अथवा मांस मंदिर में फेंक दिया और मांस खाया, इन–इन व्यक्तियों ने किसी धर्म विशेष की लडकियों को छेड़ दिया या कोई छोटी–मोटी बात को धार्मिक आस्था पर चोट से जोड़ देना, किसी के संबंध में लव जिहाद में लिप्त होने की आशंका व्यक्त कर देना, किसी महिला के डायन होने की अपफाव फैलाना, किसी पर बच्चा चोरी का सच्चा या झूठा आरोप लगाकर व अन्य इसी प्रकार की सैकड़ों अपफाहों फैला कर पीड को उन्मादी बनाया जा सकता है।

कुछ उदाहरणों से बात कुछ ज्यादा आसानी से समझ आएगी। 2015 में मोहम्मद अख्ताक को घर में बीफ रखने के शक में भीड़ ने पीट–पीट कर मार डाला। उनाव व हाथरस की घटनाएं गरीब तबके की महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों की सरफ अवर्तिष्ठ रूप से संकेत थे किंतु की गई कार्यवाही, कानून के राज की अवधारणा के प्रति वि पैदा करने वाली नहीं दिखी। रोहित वेमुला की हत्या ने देश में संस्थाओं तक में दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीबों पर बढते अपराधों की ओर असंदिग्ध रूप से इशारा था। यह अत्यंत लज्जाजनक है कि हेट क्राइम के लगभग 50% से अधिक पीडित मुस्लिम होते है और 5०% आदिवासी,दलित और हिंदू होते हैं।

एक ओर गंभीर प्रश्न सामने आया है --- यह जो मोबलिंगिंग की घटना करने वाले समूह होते हैं इन की कोई भी बड़ा संगठन, जिसके नाम का उपयोग कर यह लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते? बड़े संगठनों के पदाधिकारियों से कोई पूछे तो सीधा, त्वरित उतर होता है कि अमुक लोग उनके संगठन के सदस्य नहीं हैं?

अभी हाल ही में रायबरेली में एक दलित युवक हरिओम वाल्मीकी की भीड़ ने पीट–पीटकर हत्या कर दी। यद्यपि इस मामले में 1० लोगों को गिरफ्तार किया गया और 6 पुलिसकर्मियों को भी निर्लंबित कर दिया गया । अगस्त 2०25 में ही बरेली में एक नाबालिग बच्चे की पीट–पीट कर हत्या कर दी, महज चोरी के शक में।

कुछ पीछे जाएं तो, 2०15 में दादरी यूपी में घर में बीफ रखने के संदेह पर मोहम्मद अख्ताक की हत्या हुई जिसमें 11 व्यक्तियों को दोषी करार दिया गया है। 2०17 में अलवर में पहलू खान व 2०18 में रकबर खान और साधियों पर गो तस्करी

शक में हमला किया, पहलूखान को मार दिया, रकबर खान भी मर गया। गिरफ्तारियां जरूर हुईं। झारखंड में बच्चा कोरी के आरोप में असगर अंसारी की हत्या हुई। हापुड़ में चोरी के शक में 2०18 में ही कासिम कुरैशी की हत्या करदी गई। 2०19 में तबरेज अंसारी की मौत: चोरी शक में बेहदमी से पीटा; जब श्री राम बोलने को मजबूर किया। गनीमत थी कि वह बच गया। 202० में महाराष्ट्र के पालघर में चोर समूह कर तीन साधुओं की हत्या हुई। पुलिस में लगभग 1०0 लोगों को आरोपी बनाया है। 2०23 में नासिक के मॉरिर में केला, प्रसाद चुराने के शक में इशाक की हत्या। अगस्त 2०25 में ही बरेली में एक नाबालिग बच्चे की पीट–पीट कर हत्या कर दी, महज चोरी के शक में।

कई बार ऐसा लगने लगता है कि देश में नफरत, हिंसा और भीड़ तंत्र को कहीं से कुछ संरक्षण सा मिला हुआ है। यद्यपि सरकार इन सभी घटनाओं की त्वरित अथवा कुछ देर से निंदा करती है और दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जाता है किंतु यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि सरकारें मांब लिंगिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने में सफल भी नहीं हो रही है।

भारत में इस प्रकार की घटनाएं बढ रही है। व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से अफवाहें शीघ्रता से फैलती भी है और इरादान फैलाई भी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मांब लिंगिंग के संबंध में स्पष्ट राय दी है कि कोई भी व्यक्ति या समूह कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इस प्रकार की घटनाएं लोकतंत्र के लिए खतरा है। सरकार को सख्ती बढ़ानी चाहिए।

पुराने अपराधिक कानून इंडियन पीनल कोड में हत्या का आरोप परिभाषित है और उसके अनुसार मोब लिंगिंग को हत्या माना है। नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 1०3 में मोबलिंगिंग को अलग से अपराध परिभाषित किया है और 7 साल की सजा का प्रावधान किया है। पुराने कानून में हत्या के अपराधी को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती थी किंतु नए कानून में इसे 7 साल तक सीमित किया गया है।

क्या, संसद द्वारा, (इंडियन पीनल कोड के स्थान पर आया नया कानून) में संविधान के प्रावधानों के अनुसार ली गई शपथ का उल्लंघन को अपराध परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए?

किंतु यह प्रश्न तो है कि क्या यदि शासन–प्रशासन व मुख्यतः स्थानीय स्तर का कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण से जुड़े अधिकारी सदभावी प्रयास करें तो ऐसी वीषास घटनाओं पर काफी हद तक रोक नहीं लग सकती?? निःसंदेह, लग सकती है बशर्ते प्रयास सद्भावना से हो। प्रशासन के निचले स्तर पर, ऊपर के मंत्रियों आदि से अनावश्यक दबाव न हो।

भारत के संविधान के तीसरी अनुसूची में केंद्र और राज्य के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा, मंत्री व संसद या विधायक या न्यायाधीश के रूप में अपना पद संभालने से पहले ली जाने वाली शपथ का विवरण है। इन सभी शपथों के प्रारूप में एक वाक्यांश कॉमन है और वह है।”---that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India -----” अर्थात मंत्री, संसद आदि भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा, आस्था, राष्ट्र भक्ति रखेंगे, यह शपथ सबके सामने, खुले में ली जाती है।

क्या भारत के नागरिक के रूप में हमें यह पूछने और जानने का अधिकार नहीं है कि जो मंत्री, संसद, विधायक आदि इस पवित्र शपथ या वचन लेकर आए हैं और रात दिन खुल्लमखुल्ला संविधान की खिल्ली उड़ाने है उन्हें क्यों नहीं अपने पदों से तत्काल बर्खास्त किया जाए? कम से कम मंत्रियों को तो बर्खास्त करने के लिए तो देश या प्रदेश के चुने हुए मुखियाओं को पूर्ण अधिकार है, तो फिर ऐसा होता क्यों नहीं? उत्तर भी बहुत साफ ---क्योंकि कुछ सिरफिरे सांसदों, मंत्रियों द्वारा ऐसा करने पर, संबंधित राजनीतिक दलों को वोट मिलते है। इसी कारण मोबलिंगिंग करने वाले समूहों, लोगों को विभिन्न राजनीतिक नेता, दल, संगठन फ्रिज एलिमेंट्स (छोटी संख्या में) कहकर, नफरती समस्या को कमतर करते है और यह ऐसे तत्वों की अपरोक्ष प्रोत्साहन का काम करते है।

एक ओर गंभीर प्रश्न सामने आया है– यह जो मोबलिंगिंग की घटना करने वाले समूह होते हैं इन की कोई भी बड़ा संगठन, जिसके नाम का उपयोग कर यह लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते? बड़े संगठनों के पदाधिकारियों से कोई पूछे तो सीधा, त्वरित उतर होता है कि अमुक लोग उनके संगठन के सदस्य नहीं हैं? यह भी सामने आ रहा है कि बहुत से बड़े संगठनों की सदस्य सुविधाें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो रही हैं।

क्या सरकारों को कोई ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए कि कोई भी समूह जो, सार्वजनिक हित के नाम पर, इस प्रकार की गतिविधियां करता हो, उसका सदस्यता रजिस्टर सरकार/कलेक्टर/एसपी के स्तर पर उपलब्ध होना चाहिए। सदस्य सूची सार्वजनिक नहीं करने पर ऐसे समूह को अवैध घोषित किया जाना चाहिए और इस को अपराध परिभाषित किया जाना चाहिए।

कहीं चर्चा चल रही थी ---- हजार कानून बना लो, पालना करने वाली तो सरकार ही है न? अगर सरकार की मंशा इन्हें नियंत्रित करने की नहीं होगी तो कुछ नहीं होंगा और महीने, दो महीने के अंतरालों पर यह सब होता ही रहेगा। शासक वर्ग सदैव से जनता को यों ही मूख बनाते रहे है।

–अतिथि सम्पादक, महावीर सिंह, आई.ए.एस. (से.नि.)

भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था और वृद्धावस्था की चुनौतियां



रोटेरियन सुनील दत्त गोयल

भारत आज एक एस दार स गुजर रहा है जहाँ एक ओर जनसंख्या वृद्धि

की गति धीमी हो रही है और दूसरी ओर जीवन प्रत्याशा लगातार बढ़ रही है। यह परिवर्तन सतही रूप से विकास का संकेत देता है, लेकिन इसके भीतर गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी संकट छिपे हैं। यदि आने वाले 30–40 वर्षों में इस पर ठोस नीतिगत सुधार नहीं किए गए, तो यह चुनौती हमारे समाज और राष्ट्र की नींव को हिला सकती है।

महंगी चिकित्सा और निजी अस्पतालों का वर्चस्व

पिछले दो दशकों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निजीकरण की तीव्र गति देखने को मिली है। एक ओर निजी अस्पताल अत्याधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टर और बेहतर सेवाओं के साथ आधुनिक उपचार प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उनकी लागत आम नागरिक की पहुँच से बाहर होती जा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भारत का स्वास्थ्य पर कुल व्यय जीडीपी का मात्र ३.28% है, जबकि विकासित देशों में यह औसतاً 8–1०% तक रहता है। इसका सीधा परिणाम यह है कि सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भारी दबाव है, और उनकी सेवाओं की गुणवत्ता लगातार गिर रही है।

निजी अस्पतालों में उपचार की लागत इतनी अधिक है कि यह एक 'खोद्योग' का रूप ले चुका है। एक साधारण सर्जरी का खर्च लाखों रुपये तक पहुँच

जाता है। और यह भी देखा गया है कि अस्पताल अनावश्यक सर्जरी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अनावश्यक दवा, परीक्षण, अस्पताल शुल्क और डॉक्टर की फीस जैसे अलग–अलग मदों में कुल खर्च कई गुना बढ़ जाता है। यह स्थिति गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को कर्ज और संपत्ति बेचने की मजबूरी तक ले जाती है।

स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा वृद्धावस्था में जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी गंभीर चुनौतियाँ हैं।

1. आवास और सुरक्षा: वृद्धजनों के लिए सुरक्षित और सुलभ आवास की भारी कमी है। शहरी क्षेत्रों में वृद्धाश्रम तो हैं, लेकिन उनकी मूलभूत व्यवस्थाओं में भारी कमियाँ हैं और उनकी संख्या जरूरत से बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं का लगभग अभाव है।

2.होम केयर सेवाओं की अनुपलब्धता: जिन वृद्धजनों के परिवार उनके पास नहीं रहते, उन्हें नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और दैनिक देखभाल जैसी सेवाओं की जरूरत होती है। लेकिन ये सेवाएँ महंगी हैं और अधिकांशतः निजी संस्थानों एवं चुनिंदा शहरों तक ही सीमित हैं।

3. मानसिक स्वास्थ्य संकट: अकेलापन, अवसाद और डिमेंशिया जैसी बीमारियाँ तेजी से बढ़ रही हैं। फिर भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ वृद्धजनों के लिए लगभग नगण्य हैं।

4. आर्थिक असुरक्षा: इलाज, दवाओं और परिवहन पर होने वाला खर्च अधिकांश वृद्धजनों के लिए असहनीय है। बीमा कवरेज की कमी, बीमा के बारे में जानकारी का अभाव, बीमा कंपनियों द्वारा उचित दावों की भी ख़ारिज किये जाने का डर और पेंशन व्यवस्था के कमजोर होने के कारण परिवारों को आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव पड़ता है।

तेजी से बढ़ती वृद्धजन आबादी भारत में वृद्ध जनसंख्या की वृद्धि दर बेहद तेज है। SRS., 2०23 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या का लगभग 9.7% हिस्सा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है। UNFPA की रिपोर्ट का अनुमान

है कि 2050 तक यह अनुपात 2०% से अधिक हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आने वाले 25 वर्षों में हर पाँच में से एक भारतीय बुजुर्ग होगा।

इस परिवर्तन के गहरे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होंगे:–

कार्यशील जनसंख्या पर Dependency Ratio बढ़ जाएगा। युवा पीढ़ी पर वृद्धजनों की देखभाल का बोझ असहनीय हो सकता है। अर्थव्यवस्था पर पेंशन, स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं के लिए भारी वित्तीय दबाव पड़ेगा। पारिवारिक और सांस्कृतिक संरचना कमजोर होगी।

हिंदू समाज के संदर्भ में यह चुनौती और गंभीर है। परंपरागत रूप से वृद्धजन परिवार के मार्गदर्शक और संस्कार वाहक रहे हैं। लेकिन जब उनकी देखभाल का बोझ परिवार की क्षमता से अधिक हो जाएगा, तो यह पीढ़ियों के बीच संवाद और आत्मीयता को कमजोर कर देगा।

आने वाले 3०–4० वर्षों की भयावह तस्वीर

यदि मौजूदा स्थिति पर तुरंत काम नहीं हुआ, तो भविष्य का परिदृश्य बेहद चिंताजनक होगा। अस्पताल और स्वास्थ्य तंत्र वृद्धजनों की बढ़ती संख्या को संभाल नहीं पाएंगे। लाखों परिवार कर्ज में डूबेंगे और अपनी संपत्ति बेचने को मजबूर होंगे। वृद्धाश्रमों और देखभाल केंद्रों की मांग कई गुना बढ़ जाएगी। युवा कार्यबल की कमी से अर्थव्यवस्था धीमी होगी और कर प्रणाली पर दबाव बढ़ेगा। सामाजिक स्थिरता, सांस्कृतिक परंपराएँ और पारिवारिक मूल्य गहराई से प्रभावित होंगे।

नीति सुधार की दिशा इस संकट से बचने के लिए केवल आलोचना पर्याप्त नहीं है। ठोस और दूरदर्शी कदम उठाने होंगे।

1. स्वास्थ्य बजट में वृद्धि: भारत को अपने स्वास्थ्य बजट को कम से कम 5% जीडीपी तक बढ़ाना होगा। प्रत्येक जिले में जिग्राटिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएँ और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य टीमें तैनात हों।

हमारी पहचान, भारतीय भाषा, वेशभूषा एवं भोजन



प्रो.कैलाश सोडानी

किसी भी व्यक्ति की पहचान बहुत ही सहजता के साथ भाषा, वेशभूषा एवं भोजन से हो जाती है। व्यक्ति की नागरिकता अर्थात राष्ट्रीयता जानने के लिए यही देखा जाएगा कि वह किस भाषा में संवाद कर रहा है? व्यक्ति की पहचान के

लिए यह बहिया मापदंड हैं। 75 वर्ष की आजादी को भोगने के बावजूद भी मेरे देश का नागरिक भाषा, वेषभूषा एवं भोजन का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी ऐतिहासिक एवं गौरवशाली पहचान को कमजोर कर रहे हैं। सैकड़ो वर्षों की गुलामी ने हमारी सोच एवं मानसिकता को कमजोर कर दिया। अंग्रेजी में भाषण देने वालों को हम आज भी भारी विद्वान समझते हैं। हिन्दी, पंजाबी या तमिल में बातचीत करने वालों को हमने दूसरे दर्जे का नागरिक मान लिया। अंग्रेजी गर्व का विषय हो गयी। आज भी 3 प्रति.अंग्रेजी की नागरिकता अर्थात राष्ट्रीयता जानने के लिए यही देखा जाएगा कि वह किस भाषा में संवाद कर रही है, और न ही वह चाहते हैं कि 97 प्रति. जनता में अपनी स्वयं की भाषा के प्रति कोई प्रेम पैदा हो। दुर्भाग्य से लगभग 200 वर्षों से फैला अंग्रेजी का आतंक आज भी यथावत है। अंग्रेजी के आतंक ने आर्थिक समृद्धि के तमाम अवसर और रास्ते इतने संकरे कर दिए कि उन पर कुछ भाग्यशाली लोग ही चल पा रहे हैं। हमें इस सत्य को यथाशीघ्र

स्वीकार कर लेना चाहिये कि मातृभाषा अर्थात् हिन्दी ही हमारे विकास का राजमार्ग है। हमारी उसी कमजोर सोच के कारण विदेशी वेशभूषा अर्थात् कोट–पेन्ट–टाई वाले हमें बड़े एवं प्रतिष्ठित महानुभाव दिखाई देते हैं। भारत में सभी उच्च शिक्षित वर्ग यथा न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर सभी भारतीय वेशभूषा को तिलांजली दे चुके हैं। 45 डिग्री टेम्प्रेचर में भी आधुनिक बुद्धिजीवी असुविधाजनक होते हुए भी कोट एवं टाई में ही दिखाई देना। केवल मात्र राजनैतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले सज्जन ही भारतीय वेशभूषा का उपयोग कर रहे हैं।

वेशभूषा का निर्धारण जलवायु, संस्कृति, इतिहास एवं सामाजिक संरचना के आधार पर होता है। आधुनिकता के साथ पर लड़कियों में बहुत ही फूहड़ ड्रेसेस लोकप्रिय होती जा रही है, जो लगत हो रहा है। हमारे सांस्कृतिक एवं सामजिक मूल्यों में

गिरावट आ रही है, इसे रोकना होगा। भाषा एवं वेशभूषा के साथ–साथ भोजन के मामले में भी देश में आधुनिकता के नाम पर पाश्चात्य भोजन तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। पिज्जा–बर्गर–मगी सम्मान के प्रतीक बन गये हैं। आजकल की युवा पीढ़ी को 1० रूपये की कचोरी समोसे की तुलना में 400 रूपये का पिज्जा ज्यादा पसन्द आ रहा है। भारतीय अवधारणा के प्रति कमजोर मानसिकता को विज्ञापनों के माध्यम से लगातार कमजोर करने का पद्धतंत्र चल रहा है। हमें सावधान रहना होगा। भोजन में भोज्य सामग्री के साथ–साथ भोजन कब और कैसे करना भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में वैज्ञानिक आधार पर पालथी लगाकर भोजन ग्रहण करना ही श्रेष्ठ माना गया है। पाश्चात्य सोच ने हमें खड़े खड़े, चूतले हुए भोजन करना सीखा दिया। यह जानते हुए कि खड़े–बैठे भोजन करना स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, फिर भी नकल करने में हमें मजा आ रहा है। सौभाग्य से आज भी

संसद और सडक की भाषा, वेशभूषा और भोजन भारतीय ही है। संसद में बैठने वाला राजनेता, अयोध्या एवं उज्जैन के धर्माचार्य तथा सडक पर चलने वाला आम नागरिक हिन्दी में ही बात करता है, भारतीय पहनावे एवं भोजन में ही विश्वास करता है। दुर्भाग्य से देश का बुद्धिजीवी वर्ग, जिसकी सम्पूर्ण समाज को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी है वह स्वयं ही भटक रहा है। पाश्चात्य सोच का शिकार हो रहा है। कहीं न कहीं यह हमारी शैक्षणिक व्यवस्था की कमजोरी है जो बच्चों में राष्ट्रीय भाव जागृत करने में असफल रही है। सौभाग्य से नई शिक्षा–नीति 2०2० में देश के गौरवशाली पुरातन एवं संस्कृति को आवश्यक महत्व प्रदान किया है। मेरा मानना है कि देश के प्रत्येक नागरिक को यथा शीघ्र गर्व के साथ भारतीय भाषा, वेशभूषा एवं भोजन को अंगीकार करना होगा।

–प्रो.कैलाश सोडानी, पूर्व कुलगुरु, वर्धमान महावीर खुला विवि, कोटा

वर्षों पुराना विवाद हुआ खत्म–जिला कलक्टर की पहल से बनी आपसी सहमति

ग्रामीण सेवा शिविर बना सौहार्द और समाधान का मंच, ग्रामीणों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने और ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने हेतु आयोजित हो रहे ग्रामीण सेवा शिविर अब गांवों में समाधान और सौहार्द के प्रतीक बनते जा रहे हैं।

शिविर में वर्षों पुराना विवाद सुलझा–झालावाड़ जिले की सुनेल

पंचायत समिति स्थित सोयला ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में गुरुवार को ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला। यहां रमशान भूमि को लेकर राजपूत समाज के दो पक्षों के बीच लगभग दो वर्षों से विवाद चल रहा था। जिला कलक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ के शिविर में पहुंचने पर यह मामला उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने दोनों पक्षों की बात बड़े

धैर्य और संवेदनशीलता से सुनी और आपसी सहमति से समाधान का मार्ग सुझाया।

परिणामस्वरूप, सज्जनसिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत निवासी सोयला द्वारा ०.0253 हेक्टेयर भूमि समर्पण करने की सहमति दी गई। इस प्रकार वर्षों पुराना विवाद शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया।

आपसी सौहार्द का संदेश–

विवाद निस्तारण के बाद जिला कलक्टर ने दोनों पक्षों के लोगों को माला पहनाकर सम्मानित किया और सामाजिक एकता का संदेश दिया। दोनों पक्षों ने विवाद समाप्त होने पर प्रशंसा के प्रति आभार जताया।

ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह के शिविर वास्तव में गांवों में न्याय और विकास की नई रोशनी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजन लाल

शर्मा का उनकी दूरदर्शी सोच के लिए आभार प्रकट किया, जिससे गांव और ढाणी में भी सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचाना और शिकायत समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उनके प्रयासों से गांव–गांव में शांति और समाधान का वातावरण बन रहा है।

–हेमन्त छीपा,

जनसंपर्क अधिकारी, झालावाड़

	मेघ परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। आज व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। अनावश्यक घन खर्च हो सकता है।
	वृष घर–परिवार में अतिथियों का आमगम बना रहेगा। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	मिथुन परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज नये–पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। आज व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक सुविधाएं रहेगी।
	कर्क आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बन्दे लगेंगे। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक सुविधाएं रहेगी।

	सिंह मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मोनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियाव्ययन होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।
	कन्या आर्थिक/वित्तीय मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। धन हाति हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।
	तुला आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों के लिए दान अर्पित होगा।
	वृश्चिक व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बन्दे लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियाव्ययन होगा।

	धनु नवीन कार्यों के संबंध में सरकारी/आव्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बन्दे लगेंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	मकर चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा।
	कुंभ परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आज परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
	मीन विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटक हुए कार्य बन्दे लगेंगे। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा।